राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार –2017

लोक अदालत के समक्ष

स्थान केम्प कोर्ट मालपुरा जिला टोंक

याची/वादी/परिवादीः– भागचंद पुत्र श्योदान जाति माली निवासी झाडली तह० मालपुरा

प्रतिवादी/प्रत्यर्थीः– तहसीलदार/~~नायब तहसीलदार~~ मालपुरा ..... जिला टोंक

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर टोंक की कार्यवाही संख्याः– 377 /2016

उपस्थितः–श्री राजकुमार कासलीवाल अभि० अपीलाण्ट/ राजकीय पेरोकार रेस्पो०

अध्यक्ष का नाम :– श्री लोकेश कुमार गौतम, अति० जिला कलेक्टर, टोंक

सदस्य :– 1. अधिवक्ता श्री विक्रम सिंह

निर्णय दिनांक 24.05.2017

पक्षकारों के बीच विवाद लोक अदालत के अवधारण के लिए निर्दिष्ट किए गए है और पक्षकारों ने मामले/विषय पर समझौता/परिनिर्धारण कर लिया है, परिनिर्धारण के निबंधनों के अनुसार निम्नलिखित निर्णय पारित किया जाता हैः–

अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमित भूमि पर पक्का निर्माण नहीं होने, कब्जा छोडने व भविष्य में राजकीय भूमि पर कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र तहसीलदार/~~नायब तहसीलदार~~ मालपुरा समक्ष प्रस्तुत करने की शर्त पर, राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुए अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार कर तहसीलदार/~~नायब तहसीलदार~~ मालपुरा ......द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.09.16 से अपीलाण्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा अपास्त की जाती है, शेष निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है। साथ ही निर्देशित किया जाता है .कि यदि अपीलाण्ट पुनः अतिक्रमण करता है या पूर्व में अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ पत्र पेश किया हुआ है तो अतिक्रमी के विरूद्व सी०आर०पी०सी० की धारा 182 की कार्यवाही अमल में लायी जावे, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा।

याची/वादी/परिवादी
अभिभाषक

सदस्य
अधिवक्ता

प्रतिवादी/प्रत्यर्थी
राजकीय पेरोकार

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

अध्यक्ष
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक। केम्प मालपुरा

Scanned by CamScanner